

मुन्तकिली प्रकरण सं० 48/2016 राजेन्द्र कुमार पुत्र मनफूलराम जाति जाति
निवासी 11 एलएनपी तहसील श्रीगंगानगर बनाम 1-उपखण्ड अधिकारी
श्रीगंगानगर 2-हुक्मराम पुत्र गुरदयाल जाति नायक निवासी 11 एलएनपी
(ख्यालीवाला) तहसील श्रीगंगानगर


27.06.2016

प्रार्थी के अभिभाषक श्री जीतपाल सिंह सैनी उपस्थित हैं। उन्हें सुना गया एवं पत्रावली का अवलोकन किया गया।

प्रार्थी के अभिभाषक का कथन है कि प्रार्थी के द्वारा न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, श्रीगंगानगर में लंबित प्रकरण संख्या 29/2016 अनवानी राजेन्द्र कुमार बनाम हुक्मराम में निष्पक्ष न्याय न मिलने की संभावना के कारण अन्यत्र सक्षम न्यायालय में मुन्तकिल करवाने के लिए यह मुन्तकिली प्रा० पत्र अन्तर्गत धारा 235 राज० काश्तकारी अधिनियम के तहत पेश किया था। चूंकि अब प्रार्थी इस मुन्तकिली प्रा० पत्र पर कोई कार्यवाही नहीं चाहता है अर्थात् नॉट प्रैस करते हैं। इसलिए इस आधार पर मुन्तकिली का यह प्रार्थना पत्र खारिज किया जाता है तो उन्हें कोई आपति नहीं है।

चूंकि प्रार्थी मुकदमा मुन्तकिली प्रा० पत्र पर कोई कार्यवाही नहीं चाहता है अर्थात् नॉट प्रैस किया है। इसलिए मुन्तकिली प्रा० पत्र इसी आधार पर खारिज किया जाता है। आदेश की प्रति उपखण्ड अधिकारी, श्रीगंगानगर को भिजवाई जावे। पत्रावली बाद तरतीब तकमील दाखिल दफतर हो।

आदेश आज दिनांक 27.06.2016 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।


(पी. सी. किशन)
जिमा कलेक्टर
श्रीगंगानगर

जिला कलेक्टर

श्रीगंगानगर

48/2016

1196
29-6-16